प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 22.11.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार थाना छजलैटः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी व अवैध शस्त्र धारको की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 22.11.2024 को थाना छजलैट पुलिस द्वारा अभियुक्ता गुड़िया उर्फ रूबी पत्नी केतन निवासी ग्राम रमपुरा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना छजलैट पर मु0अ0सं0 - 249/2024 धारा-3/25आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

गुड़िया उर्फ रूबी पत्नी केतन निवासी ग्राम रमपुरा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

बरामदगी-

एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

व0उ0नि0 वासिफ अहमद

उप निरीक्षक रामकुमार सोम

म0उ0नि0 दीपिका सिंह

म0का0 शिवानी सिंह

2-अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना छजलैटः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी व अवैध शस्त्र धारको की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 22.11.2024 को थाना छजलैट पुलिस द्वारा अभियुक्त शानू ढाका पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम रमपुरा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना छजैलट पर मु0अ0स0-248/2024 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शानू ढाका पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम रमपुरा थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

बरामदगी-

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उप निरीक्षक श्री रामकुमार

उप निरीक्षक श्री मौ0 ताहिर

का0 सुंदर

3-थाना मझोला पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी 02 बाल अपचारी को हिरासत/निगरानी में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक-21.11.2024 को वादिनी पुनीता पत्नी स्व0 सियाराम निवासी सोनकपुर हड्डी मिल थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ने वादिनी के घर से चोरी करने के सम्बन्ध में थाना मझोला पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0-1032/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्यों को आधार पर आज दिनांक 22.11.2024 को उ0नि0 प्रवेन्दर कुमार थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिस बल के 02 बाल अपचारी को हिरासत/निगरानी में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित चोरी का सामान 01 मोबाईल एवं 02 सफेद धातू की पाजेब बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4-अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना मझोला-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी व अवैध शस्त्र धारको की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 22.11.2024 को थाना मझोला पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास गिरि पुत्र गौरी शंकर निवासी सूर्य नगर भोला गिफ्त सेंटर की दुकान के पास थाना मझोला जिला मुरादाबाद को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मझोला पर मु0अ0स0-1034/2024 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विकास गिरि पुत्र गौरी शंकर निवासी सूर्य नगर भोला गिफ्त सेंटर की दुकान के पास थाना मझोला जिला मुरादाबाद

बरामदगी-

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 विनय कुमार मय हमराही पुलिस बल

5-सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 को वादी यंश गुप्ता पुत्र श्री रमेश कुमार गुप्ता निवासी डबल फाटक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के समबन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-405/2024धारा-299/353(2) बी.एन.एस. व धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया, विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 22.11.2024 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा अभियुक्त मोसिन पाशा पुत्र हसनैन निवासी ग्राम बरैठा खिजरपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक मोबाईल बरामद किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

मोसिन पाशा पुत्र हसनैन निवासी ग्राम बरैठा खिजरपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद

बरामदगीः-

एक मोबाईल

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

प्रभारी निरीक्षक श्री किरनपाल सिंह,

का0 मोहर सिंह,

का0 संजीव कुमार थाना मैनाठेर, मुरादाबाद।

6-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 09 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 22.11.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 09 आरोपी को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।